

From,

Shamveel Rizwan
Additional Civil Judge (J.D.)
Chandauli.

To,

The Respected Registrar General,
Hon'ble High Court of Allahabad,
Allahabad.

Through,

The Respected District Judge,
Chandauli.

Subject:- Application for grant of three advance increments in compliance of G.O.
dated 13.04.2018-Reg.

Respected Sir,

I have the honour to state that the applicant posses the Post Graduate degree in Law (LL.M.). The state govt. has issued the Government order No. 8/2018/279/2-4-2018-45(12)/91TC dated 13.04.2018; granting three advance increment to all those judicial officers who were having Post Graduate degree (LL.M.) in Law.

It is therefore, humbly requested and prayed that the applicant may kindly be granted three advance increments from the date of joining the judicial service i.e. 16.11.2019 in compliance of G.O. No.8/2018/279/2-4-2018-45(12)/91TC dated 13.04.2018. I shall be remain highly obliged.

With regards,

Dated :-18.12.2020

Your's faithfully,
Shamveel Rizwan
18.12.2020
(Shamveel Rizwan)
Additional Civil Judge (J.D.)
Chandauli.

Enclosure:-

- 1- Copy of G.O. No. 8/2018/279/2-4-2018-45(12)/91TC dated 13.04.2018.
- 2- Certified copy of marksheets of LL.M.

JUDGE SHIP, CHANDAULI

No. 1282 /xv Dated 18.12.2020

Forwarded

Vinai Kumar Dwivedi
District Judge 18/12/2020
Chandauli
18.12.2020

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 अभय प्रताप सिंह-II बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 मई, 2009 तथा सपठित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 द्वारा मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की गयी थीं।

2- इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-सी-19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15-11-2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-03-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-03-2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विषयगत तीनों रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 08-05-2017 एवं 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में निम्न व्यवस्था दी गयी :-

60. Accordingly, letter dated 03.01.2012 is quashed and the Government Orders dated 13.05.2009 and 27.03.2015 require clarification/modification to the extent they deny the benefit of three advance increments to those judicial officers who have

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2018/279(1)/दो-4-2018. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार, ऑडिट, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- (5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- (7) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (8) समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, 30प्र0 ।
- (9) समस्त कोषाधिकारी, 30प्र0 ।
- (10) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, 2 व 3, 30प्र0 सचिवालय।
- (11) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-2, 30प्र0 सचिवालय।
- (12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, 30प्र0 सचिवालय।
- (13) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
- (14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



UNIVERSITY OF ALLAHABAD

LL.M. Part I Examination, 2015



Name : SHAMVEEL RIZWAN
Father's Name : RIZWAN
Mother's Name : NAFEESA


Roll No.: 4874
Enrol No.: U0821586

Paper	Subject of Study	Marks Obtained	Subject Total
Subject A - Jurisprudence :			
I:	Legal Theory and Concepts	67 /100	126 /200
II:	Principles of Legislation and Interpretation of Statutes	59 /100	
Subject B - Constitutional Law :			
I:	Constitutional Law of India	56 /100	113 /200
II:	Constitutional Law of USA and UK	57 /100	
Subject C - Personal Law : Hindu Law:			
I:	Hindu Jurisprudence	60 /100	112 /200
II:	Modern Hindu Law	52 /100	
	: Viva Voce	64 /100	64 /100
Result : Passed		Grand Total :	415 /700

To Pass a candidate must obtain 40% in each Subject including Viva Voce as well as 50% in aggregate.

Saturday, August 08, 2015

525638 1501450251


Controller of Examinations





UNIVERSITY OF ALLAHABAD

LL.M. Part II Examination, 2016



Name : SHAMVEEL RIZWAN
Father's Name : RIZWAN
Mother's Name : NAFEESA

Poll No.: 6814
Enrol No.: U0821586

Paper	Subject of Study	Marks Obtained	Subject Total
Law of Crimes :			
I	History and Principles of Criminal Law	57/100	117/200
II	Theory of Crime and Punishment	60/100	
Law of Contracts :			
I	General Principles of the Law of Contracts	55/100	117/200
II	Agency, Partnership and Sale of Goods	61/100	
Muslim Law :			
I	Muslim Law -I	45/100	100/200
II	Muslim Law -II	54/100	
	Viva Voce	50/100	50/100
Part-I : 415/700		Part-II : 394/700	
Result : Second Division		Grand Total : 809/1400	

To Pass a candidate must obtain 40% in each subject including Viva Voce as well as 50% in aggregate.
Division : 60% - 1st Class : 50% - Second Class

Wednesday, August 03, 2016

0252725 0168506450



H. Subudhy
Controller of Examinations

Attested
Shambh
16-12-2020



UNIVERSITY OF ALLAHABAD



Master of Laws

Enrolment No. UO821586

Roll No. 6814

This is to certify that Shamveel Rizwan
Son/Daughter of Sri Rizwan
obtained the degree of Master of Laws in this University in
the Examination of 2016 ; and that he/she was placed in
the Second class.

Attested
Shamveel
16-12-2020



[Signature]
Vice-Chancellor.

University of Allahabad :

The 28th October ; 2017
17th June ; 2019